बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

पत्रांक–02/रेगु०–03–900–10/2024 1899/ई०क० /पटना, दिनांक– 12 अक्टूबर, 2026

प्रेषक,

अनिल कुमार झा, भा०प्र०से०
ईखायुक्त, बिहार।

सेवा में,

दखलकार/महाप्रबन्धक
1. राज्य की कार्यरत सभी चीनी मिलें।
2. राज्य से गन्ना क्रय करने वाली उत्तर प्रदेश की चीनी मिलें।

विषयः– **पेराई वर्ष 2026–27 के लिए पथ क्रय केन्द्र आवंटन के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है कि पेराई सत्र 2026–27 के लिए पथ क्रय केन्द्र आवंटन का प्रस्ताव अपने ईख पदाधिकारी तथा सहायक ईखायुक्त, उत्तर बिहार, मुजफ्फरपुर को भेजते हुए अधोहस्ताक्षरी को दिनांक–16.10.2026 तक निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे। प्रस्ताव तैयार करने के क्रम में यह ध्यान रखेंगे कि क्रय केन्द्रों की संख्या नियत हो परन्तु कृषकों को सुविधा प्रदान करने में प्रभावकारी हो। क्रय केन्द्र वृहद एवं अधिक गन्ना क्रय करने में सक्षम हो तथा वहाँ रात्रि में भी कृषकों के गन्ने की तौल की सुविधा हो। दो क्रय केन्द्रों की बीच की रैखिक (एरियल) दूरी 4 से 5 किलोमीटर तक हो एवं दो चीनी मिलों की सीमा से कम–से–कम 3 किलोमीटर की दूरी पर हो। क्रय केन्द्रों को प्रस्तावित करने के क्रम में विभाग द्वारा निर्गत सर्वेक्षण नीति एवं सट्टा नीति में अंतर्निहित प्रावधानों का भी अनुपालन सुनिश्चित करें।

उपरोक्त के आलोक में पेराई सत्र 2026–27 के लिए पथ क्रय केन्द्र आवंटन का प्रस्ताव निम्न प्रपत्र में उपलब्ध कराने का कष्ट करें:–

प्रपत्र

जिला का नाम	प्रखण्ड का नाम	प्रस्तावित क्रय केन्द्र का नाम	राजस्व थाना संख्या	आरक्षित/मुक्त क्षेत्र में प्रस्तावित	पथ क्रय केन्द्र से संबद्ध ग्रामों का नाम (राजस्व थाना संख्या सहित)	जी०पी०एस० सर्वेक्षण के आधार पर पेराई हेतु उपलब्ध गन्ना (लाख क्विंटल में)
1	2	3	4	5	6	7

2. पेराई सत्र 2025–26 में स्वीकृत/परिचालित किये गये क्रय केन्द्र तथा प्रत्येक क्रय केन्द्र पर खरीद की गयी ईख की मात्रा से संबंधित प्रतिवेदन भी उपलब्ध कराया जाय।

विश्वासभाजन

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–02/रेगु०–03–900–10/2024 1899/ई०क० /पटना, दिनांक– 12 अक्टूबर, 2026

प्रतिलिपि–ईख पदाधिकारी (सभी)/विशेष ईख पदाधिकारी, गोपालगंज/सहायक ईखायुक्त, उत्तर बिहार, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रषित। उन्हें निदेश है कि अपने क्षेत्र की चीनी मिलों से प्राप्त क्रय केन्द्रों के आवंटन के प्रस्ताव की सर्वेक्षण नीति एवं सट्टा नीति के अंतर्निहित प्रावधान के आलोक में समीक्षा कर अपने सुविचारित मंतव्य एवं संबंधित प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध करायें।

ईखायुक्त, बिहार।

क्रमशः.....2

ज्ञापांक–02 / रेगु०–03–900–10 / 2024 1899/ई०क० /पटना, दिनांक– 12 अक्टूबर, 2026

प्रतिलिपि–सचिव, बिहार सुगर मिल्स एसोसियेशन को सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से भी सभी चीनी मिलों को सूचित करने का कष्ट करेंगे।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–02 / रेगु०–03–900–10 / 2024 1899/ई०क० /पटना, दिनांक– 12 अक्टूबर, 2026

प्रतिलिपि–आई॰ टी॰ मैनेजर, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।